रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29062026-273927
SG-DL-E-29062026-273927

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]	दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2026/ आषाढ 8, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 83
No. 165]	DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2026/ ASHADHA 8, 1948	[N. C. T. D. No. 83

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 जून, 2026

फा0 सं0 एयूटीसी–बी/6/2025–V पी(आयु0)/एयूटीसीएच/923— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज तथा अस्पताल, दिल्ली में ''मस्सेर'' के पद की भर्ती को विनियमित करने से संबंधित दिल्ली सरकार की दिनांक 19 सितम्बर, 1961 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत पंचकर्म, आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज तथा अस्पताल के विभाग में ''मस्सेर'' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (i) इन नियमों को आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज तथा अस्पताल ''मस्सेर'' भर्ती नियमावली, 2026 कहा जाए।

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं** :– उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की भाक्ति** :– जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :– इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, बेंच मार्क दिव्यांजन तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	मस्सेर
2.	**पदों की संख्या**	:	10 (2026) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4 (रुपये 25500–81100/–)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18–25 वर्ष* * यदि पद को अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के द्वारा भरा जाना है, तो आयु सीमा 18–27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सामान्य वर्ग के विभागीय उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा चालीस वर्ष तक शिथिलनीय तथा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए पैंतालीस वर्ष तक शिथिलनीय।) **नोट**: आयु सीमा निर्धारण के लिये अंतिम तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञाप्ति होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्यः**– i. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या अन्य समकक्ष योग्यता। ii. भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र कौशल परिषद् (एचएसएससी) या समकक्ष सरकारी निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम एक वर्ष का पंचकर्म सहायक/पंचकर्म तकनीशियन का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र। iii. सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्त आयुष संस्थान/एनएबीएच से मान्यता प्राप्त पंचकर्म केन्द्र में पंचकर्म सहायक/थैरेपिस्ट/मस्सेर/पंचकर्म तकनीशियन के रूप में कम से कम एक वर्ष का अनुभव

8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	02 वर्ष सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए **टीप** : सीधी भर्ती वालों को परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	100प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (लो0नि0वि0) – **अध्यक्ष** 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – **सदस्य** 3. उप–सचिव (श0विका0) – **सदस्य** टीप :– यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

नीरज **गुप्ता**, उप–सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 29th June, 2026

F. No. AUTC-B/6/2025-V P(Ayu)-AUTCH/923— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, and in supersession of the Government of Delhi notification dated 19th September, 1961 regarding regulating the recruitment to the post of "Masseurs" in the Ayurvedic & Unani Tibbia College and Hospital, Delhi, except as respects anything done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of "Masseurs" in the Department of Panchkarma, Ayurvedic & Unani Tibbia College and Hospital, under the Department of Health and Family Welfare, Government of the National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.-**

(i) These rules may be called the Ayurvedic & Unani Tibbia College & Hospital Masseurs Recruitment Rules, 2026**.**

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in the pay matrix.-**

The number of said posts, their classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Column (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, Age Limit, and Qualifications.-**

The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as

specified in the columns (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualification**.-No person,-

(a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.-**

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen, Persons with Benchmark Disabilities, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Name of the Post.	**Number of Posts.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether Selection post or non-selection post.**
Masseurs	10* (2026) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (Rs. 25500- 81100) of the Pay Matrix	Not Applicable

(6)	(7)	(8)	(9)
Age limit for direct recruits.	**Educational and other qualification required for direct recruits.**	**Whether age and EQ prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
Between 18 to 25 years* * In case of post being filled up by all-India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years. (Relaxable for departmental candidates upto forty years in the case of general candidates and forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in	Essential: i. Matriculation or an equivalent qualification from a recognized board or University. ii. Having full time certificate course of Panchkarma Assistant/ Panchkarma Technician of at least 01 year from Recognized Institute accredited by the Healthcare Sector Skill Council (HSSC), Government of India or equivalent Government body. iii. Experience of at least 01 year in Govt./Semi Govt./ Autonomous	Not Applicable	2 years for Direct Recruits Note: Direct recruit would be required to successfully complete a mandatory induction Training of at least two weeks duration as prescribed by the competent authority for completion of probation.

accordance with the instructions orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Competent Authority.	AYUSH institute/ NABH accredited Panchkarma Centre as Panchkarma Assistant/ Therapist/ Masseur/ Panchkarma Technician.		

(10)	(11)	(12)	(13)
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.**	**If a DPC exists, what is its composition.**	**Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.**
100% by direct recruitment.	NA	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) 1. Pr. Secretary /Secretary (PWD) - Chairperson 2. Head of the Department concerned – Member 3. Deputy Secretary (UD)- Member Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.	Consultation with UPSC is not necessary.

By Order and in the Name of Lt. Governor
National Capital Territory of Delhi

NEERAJ GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.29 23:16:20 +05'30'